कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1852/11–सी–**FP/UP/Others/32858/2018**, लखनऊ, दिनांकः मार्च 28,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– जनपद फर्रूखाबाद–फतेहगढ़–गुरसहायगंज रोड (एस0एस0–29ए) किमी0 नम्बर–9 (चैनेज 8.053) बॉयी पटरी पर खसरा संख्या–634 नि0 ग्राम–भूलनपुर चिरपुरा, परगना–भोजपुर, तहसील–सदर जिला–फर्रूखाबाद पर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2897/14–1, दिनांक 13.03.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड कराते हुए संलग्न करे।

2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, जोकि अपूर्ण है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग–2 कमांक 13 (i) में संशोधित धनराशि एवं कमांक 13 (ii) में संशोधित प्राक्कलन अपलोड करें।

3– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo referenced Digital Map ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिहिन्त 1.50000 माप की टोपोसीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिहिन्त 1.50000 माप की टोपोसीट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

5– प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एर्टोनी संलग्न नहीं है। अतः सत्यापित खतौनी व सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एर्टोनी प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

6– वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में Linear अंकित है जबकि प्रकरण Non Linear है। अतः संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

7– हार्डकॉपी भाग–2 में हरियाली घनत्व अंकित नहीं किया गया है। अतः हरियाली घनत्व भाग–2 में अंकित करें।

8– ऑनलाइन भाग–2 में 922 पेड़ अपलोड किये गये है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये हैं। अतः इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए वास्तविक वृक्षों की संख्या आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

9– हार्डकॉपी भाग–2 कमांक–7(7) में बाधक वृक्षों की कोई सूचना अंकित नहीं की गयी है। अतः बाधक वृक्षों की सही सूचना अंकित करें।

10– हार्डकॉपी भाग–2 कमांक–10(1) से 10(5) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का सही ब्योरा अंकित करें।

11– ऑनलाइन भाग–2 के डिस्ट्रिक प्रोफाईल में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही भौगोलिक क्षेत्रफल अंकित करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1852/11–सी–**FP/UP/Others/32858/2018**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फर्रूखाबाद।

2– उप महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय आगरा।

O/C

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।